

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

राजस्व अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
पत्र संख्या :- 266/2018
धारा 53 आर.टी.ए.
पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।

बनाम

- गुलाबी देवी पत्नी दुलीचन्द जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- अल्का पत्नी राजीव कुमार पुत्री दुलीचन्द जाति जाट निवासी कटहडा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब
- प्रमिला पत्नी कमलवीर पुत्री दुलीचन्द जाति जाट नि. सालीवाला तह. टिब्बी
- रानी देवी पत्नी वीरेन्द्र बैनिवाल जाति जाट निवासी पुलिस थाने के सामने टिब्बी तह.टिब्बी
- पठानी देवी पत्नी हरिश बैनिवाल पुत्री दुलीचन्द जाति जाट नि.पीरकामड़िया तह.टिब्बी।
- कलावती पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
- दृष्टि पुत्री कुलदीप उम्र 10 वर्ष जरिये नाबालिग कुदरती बली माता कलावती पत्नी कुलदीप जाति निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 13.11.2020

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे
राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मनीराम वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला
हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
अल्का 0.367 हि. राहिन पीएनबी ढाबा 2 पठानी देवी 0.367 हि. प्रमिला 0.367 हि. 4 रानी देवी 0.367 हि. पुत्रीयां दुलीचन्द 5 गुलाबी पत्नी दुलीचन्द 0.239 हि. 6 प्रमिला पत्नी राधेश्याम 0.127 हि. 7 कलावती उर्फ छवि पत्नी कुलदीप 0.122 हि. 8 दृष्टि 0.122 हि. 9 सृष्टि 0.122 हि. पुत्रीयां कुलदीप जाति जाट निवासी ढाबा.	प.मं. 6 बीजीपी-बी के चक 6 बीजीपी-बी के खाता सं. 6/50 खाते का योग 2.200 हैक. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	उर्मिला पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी ढाबा 1. अल्का 0.367 हि. राहिन पीएनबी शाखा ढाबा 2 पठानी देवी 0.367 हि. 3 प्रमिला 0.367 हि. 4 रानी देवी 0.367 हि. पुत्रीयां दुलीचन्द 5 गुलाबी देवी पत्नी दुलीचन्द 0.239 हि. 6 कलावती उर्फ छवि पत्नी कुलदीप 0.122 हि. 7 दृष्टि 0.122 हि. 8 सृष्टि 0.122 हि. पुत्रीयां कुलदीप जाति जाट निवासी ढाबा	प.न. 201/140 मु.न. 33 का कि. न. 7/0.064 (द.प.) मिन, 14/0.063 (उ.प.) मिन कुल-0.127 हेक्. प.न. 201/139 मु.न. 32 का कि. न. 16/1/0.240, 16/2/0.013 गै.मु. रास्ता, 17/1/0.081, 17/3/0.007 गै.मु. रास्ता, 24/1/0.088, 25/0.253, प.न. 201/140 मु.न. 33 किला नं. 4/0.189 मिन, 5.6,7/0.759, 14/0.190, 15/0.253 कुल-2.073 हेक्.


कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
कर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो
तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये
जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1387 दिनांक 25.04.2025 द्वारा प्राप्त
विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि
मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों
का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.23 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया